निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 श्रावण 1947 (श0)

(सं0 पटना 1298) पटना, शुक्रवार, 1 अगस्त 2025

सं० 13/SBM (विविध)–22/2025–2884
नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

31 जुलाई 2025

विषयः–''बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग'' के गठन की स्वीकृति के संबंध में।

बिहार राज्य में सफाई कर्मचारियों के अधिकारों और हितों की सुरक्षा के लिए, उनके कल्याण, पुनर्वास, सामाजिक उत्थान और उनकी शिकायतों के निवारण तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर पर एक आयोग का गठन करना समीचीन है।

चूंकि सफाई कर्मचारियों को ऐतिहासिक रूप से सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा है और वे खतरनाक कामकाजी परिस्थितियों, उचित पहचान की कमी और सामाजिक सुरक्षा के अभाव में जीवन यापन कर रहे है, इसलिए यह आवश्यक है कि बिहार राज्य में उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने, समानता को बढ़ावा देने और उनके लिए संवैधानिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक समर्पित संस्थागत तंत्र स्थापित/विकसित किया जाय।

उल्लेखनीय है कि एक लोक कल्याणकारी सरकार के रूप में राज्य सरकार का दायित्व है कि वह समतामूलक समाज की स्थापना हेतु समाज के सभी वर्गों के उत्थान हेतु कल्याणकारी कार्य करे तथा इन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करे।

2. बिहार में सफाई कार्यों में मुख्यतः समाज के वंचित वर्ग के लोग जुड़े होते है, जिन्हें समाज के मुख्य धारा से जोड़ने एवं उनके समाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु ''बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग'' का गठन किया जाता है।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में आयोग का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है :–

1. अध्यक्ष
2. उपाध्यक्ष
3. पाँच सदस्य, जिसमें से एक महिला/ट्रांसजेंडर
4. चार पदेन सदस्य–

(क) निदेशक, समाज कल्याण, समाज कल्याण विभाग।
(ख) निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन–जाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन–जाति कल्याण विभाग।
(ग) श्रमायुक्त, श्रम संसाधन विभाग।
(घ) निदेशक, स्वच्छता एवं विकास निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को नामित/मनोनित राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

4. आयोग का कार्य एवं दायित्व निम्न प्रकार से होगा :–

1. परीक्षण, जाँच एवं अनुश्रवण–
   (क) राज्य में कार्यरत सफाई कर्मियों से संबंधित भारत के संविधान या वर्तमान में लागू किसी भी कानून, भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश/नियमों की समीक्षा एवं मूल्यांकन करना तथा सफाई कर्मियों के हितों से संबंधित सुझाव राज्य सरकार को देना।
   (ख) सफाई कर्मियों के अधिकारों की सुरक्षा करना।
   (ग) सफाई कर्मियों के कल्याण और सुरक्षा से संबंधित मामलों का अनुश्रवण करना।
   (घ) सफाई कार्यों में लगे लोगों को चिह्नित करना।
   (ड.) सरकारी/गैर सरकारी संस्थानों/संगठनों में कार्यरत सफाई कर्मियों की स्थिति का अनुश्रवण करना।
   (च) सफाई कार्यों में लगे लोगों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करना तथा उसे लागू कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना।
2. क्षमतावर्द्धन एवं जन–जागरूकता–
   (क) सफाई कर्मियों के कौशल विकास हेतु जरूरी प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू कराने हेतु अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करना एवं उनके रोजगार/स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करना।
   (ख) सफाई कार्यों में लगे लोगों के लिए रोजगार का अवसर उत्पन्न करना। इस हेतु कार्यशाला, सेमिनार एवं जन–जागरूकता कार्यक्रम आदि का संचालन कराना।
   (ग) सफाई कर्मियों के हितों की सुरक्षा से संबंधित सभी विभागों (विशेष कर पुलिस विभाग) के पदाधिकारियों /कर्मचारियों में जागरूकता एवं संबंधित कानूनों की जानकारी हेतु सेमिनार/कार्यशाला आयोजित कराना।
3. नियम/अधिनियम/न्यायालय से संबंधित मामले–
   (क) मैनुअल स्कैवेंजर अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू कराना एवं उसका अनुश्रवण करना।
   (ख) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–20.10.2023 को Writ Petition (Civil) No (S). 324 of 2020, Dr. Balaram Singh Versus Union of India & Ors में पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।
   (ग) मैनुअल स्कैवेंजर अधिनियम, 2013 के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जाँच करना तथा उससे संबंधित सुझावों से राज्य सरकार को अवगत कराना।
   (घ) मैनुअल स्कैवेंजर अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को क्रियान्वित कराने या क्रियान्वयन नहीं होने की स्थिति में स्वतः संज्ञान लेना।
   (ड.) सफाई कर्मियों से संबंधित केन्द्र अथवा राज्य के अन्य विभिन्न कानूनों के अनुपालन हेतु आवश्यक कार्रवाई करना।
   (च) राज्य में शून्य मैनुअल स्कैवेंजिंग की स्थिति को बनाये रखने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना।
4. प्रतिवेदन एवं प्रस्ताव–
   (क) राज्य सरकार को वार्षिक/अंकेक्षण/विशेष प्रतिवेदन उपलब्ध कराना।
   (ख) राज्य सरकार को सफाई कर्मियों से संबंधित विभिन्न विषयों यथा–प्रशिक्षण, कौशल विकास, समाजिक सुरक्षा, सफाई कार्यों के यांत्रिकीकरण, स्वास्थ्य, आवास और शिक्षा सुविधाओं इत्यादि की व्यवस्था हेतु अनुशंसा करना।
   (ग) सफाई कार्यों में लगे लोगों की आर्थिक एवं समाजिक समस्याओं को दूर करने हेतु राज्य सरकार को प्रतिवेदित करना तथा अन्य विभागों से मदद प्राप्त करना।
5. अन्यान्य–
   (क) राज्य में सीवर एवं सेप्टिक टैंकों की मशीनकृत सफाई सुनिश्चित कराना।
   (ख) सफाई कर्मियों को सरकारी योजनाओं के लाभ दिलाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना।
   (ग) अन्य कोई कार्य/विषय जो राज्य सरकार, आयोग को सौंपे।

5. **आयोग की शक्तियाँ** :–
   1. आयोग सरकार के अनुमोदन से सफाई कर्मियों के समाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए सरकारी विभाग या किसी अन्य संस्थान की मदद ले सकेगा।

2. आयोग अपने कार्यों के सम्पादन हेतु राज्य सरकार के किसी विभाग या अधिकारी से आवश्यक सूचना माँगने के लिए सक्षम होगा।
3. आयोग अपने कार्यों के संपादन के क्रम में किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थानों का भ्रमण/निरीक्षण कर सकती है।
4. आयोग अपने कार्यों के संपादन हेतु राज्य सरकार की अनुमति से किसी भी सरकारी संस्था का उपयोग कर सकती है।
5. किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थान द्वारा आयोग की अनुशंसा को नहीं मानने की स्थिति में संबंधित विभाग के माननीय मंत्री द्वारा आयोग को सुना जाना एवं निर्णय लेना।
6. आयोग आवश्यकतानुसार तकनीकी/विधिक/अन्य विशेषज्ञों की सेवा प्राप्त कर सकता है।

6. **आयोग की संरचना** :– आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के अलावा कार्यालय संचालन में सहयोग हेतु पदाधिकारी/कर्मी की संरचना निम्नवत् होंगी :–

1. उप सचिव–01 (बि०प्र०से०/बि०स०से०)
2. अवर सचिव–01 (बि०स०से०)
3. प्रशाखा पदाधिकारी–02 (बि०स०से०)
4. सहायक प्रशाखा पदाधिकारी–04 (बि०स०से०)
5. निम्नवर्गीय लिपिक–02 (सचिवालय लिपिकीय सेवा)

आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के अलावे सहायक पदाधिकारी/कर्मी के लिए वेतन/भत्ता एवं सेवा शर्त्त का निर्धारण अलग से किया जायेगा।

7. **आयोग का कार्यालय**– राज्य सरकार द्वारा आयोग के लिए एक कार्यालय एवं आवश्यक उपस्कर आदि की व्यवस्था की जायेगी।

8. राज्य सरकार अनुदान के रूप में आयोग को उसके कार्यों के प्रयोजनार्थ निधि उपलब्ध करायेगी। उक्त निधि के व्यय में बिहार वित्त नियमावली, बिहार कोषागार संहिता एवं समय समय पर निर्गत वित्त विभागीय दिशा–निर्देश का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. आयोग की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार होगी। दोनों बैठकों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा।

10. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा सफाई कर्मचारियों से संबंधित कोई भी नीति निर्धारण की स्थिति में आयोग से समन्वय स्थापित करना अनिवार्य होगा।

11. **कार्यकाल** :–

1. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण की तिथि से तीन वर्षों की अवधि तक होगा।
2. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा कोई भी सदस्य राज्य सरकार को सम्बोधित स्वलिखित पत्र प्रेषित कर अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा।
3. राज्य सरकार किसी अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य को उपयुक्त कारणों से उनके पद से विमुक्त कर सकती है।

12. आयोग के सचिव, पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की सेवा नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। इस हेतु विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग एवं अन्य दूसरे विभागों से सेवा उपलब्ध कराने की अधियाचना की जायेगी।

13. केन्द्रीय सेवा अथवा राज्यान्तर्गत सेवा के किसी सेवारत पदाधिकारी को आयोग के सचिव के पद पर राज्य सरकार नियुक्त/मनोनित करेगी।

14. बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग में गठन के प्रस्ताव पर दिनांक–29.07.2025 को सम्पन्न राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक मे मद संख्या–30 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

राज्यपाल के आदेश से,
अभय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1298-571+200-डी0टी0पी0
Website: : https://egazette.bihar.gov.in